प्रेस नोट ***03/04/2026***

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा 25000/- का इनामिया गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना जनपद मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 03.04.2026 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर क्यामुद्दीनपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 51/2026 धारा धारा 2b(i) व 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में फरार चल रहे 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. आदर्श सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष (इनामिया)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 228/2021 धारा 323, 325, 427, 504, 506 IPC थाना मरदह जनपद गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 202/2025 धारा 121(1), 132, 324(4), 351(3), 352 BNS थाना मरदह जनपद गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 310(2), 317(2), 342(2), 345(3) BNS थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 051/2026 धारा 2(b)(i), 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. SHO कमल कान्त वर्मा
2. उ0नि0 हृदयानन्द पाठक
3. अ0नि0 राजीव सिंह
4. उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया
5. उ0नि0 प्यारेलाल
6. म0मु0 आ0 सरिता
7. का0 मनीष यादव
8. का0 अवनीश सोनकर

थाना घोसी क्षेत्र के ग्राम इन्द्रपुर मे पुत्र द्वारा अपने पिता को लोहे के राड से मार कर की गयी हत्या में अभियुक्तके (आला कत्ल)मय लोहे के राड (पुत्र) साथ गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में वांछितजिलाबदर , सदिंग्ध व्यक्ति/ तथा इनामिया अपराधियों व जनपद मे हो रही लूट हत्या तथा चोरी से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा ,रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुप कुमारक्षेत ,्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह द्वारा थाना घोसी पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.04.19 को समय करीब 2026. 10बजे सायंकाल पी डी महाविद्यालय.एम.के पास से मु 0सं0अ0 /12926 धारा 103(1) बी .एस.एन.में वाछित अभियुक्त हरिकेश हरिजन पुत्र स्वबसाऊ निवासी इन्द्रपुर थाना 0 घोसी जनपद मऊउम्र करीब वर्ष को 29 मय उस लोहे की राडजिसमें खून लगा था के (आला कत्ल के साथ) बसाऊ 0साथ गिरफ्तार किया गया जिससे कि अभियुक्त हरिकेश द्वारा अपने पिता स्व की दिनांक 02.04. 2026 बजे घर के बाहर चारपाई पर सोते समय हत्या की थी। विस्तृत विवरण इस प्रकार है दिनांक 4 की सुबह करीब 02.04. को 2026प्रार्थिनी चन्दा देवी पत्नी स्वभोपौरा थाना घोसी जनपद मऊ 0बसाऊ निवासी इन्द्रपुर पो 0 द्वारा अपने बडे पुत्र हरिकेश द्वारा उक्त दिनांक को ही सुबह बजे के करीब उनके पति बसाऊ की सोते समय लोहे के 4 /129 0सं0अ0राड से मार कर हत्या करने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर पर थाना घोसी पर मु2026 धारा 103(1) बी.एस.एन. बनाम हरिकेश हरिजन पुत्र स्व बसाऊ निवासी इन्द्रपुर थाना घोसी जनपद मऊ 0के दिनांक घटना 02.04. समय 202608.13 बजे पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक घोसी द्वारा की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में मृतक का सगा लड़का हरिकेश उक्त फरार चल रहा था जिसे दिनांक 02.04.को 2026 घोसी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को न‍ियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसके पिता बार बार उसे इलाज हेतु दिमागी अस्पताल भेंजने की बात कर रहे थे जिस कारण से गुस्सा और आवेश मे आकर उसने अपने पिता की लोहे की राड से प्रहार कर सोते समय सुबह करीब 4 बजे हत्या की है। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर विधिक कार्यवाही अमल मे लाते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. हरिकेश हरिजन पुत्र स्व बसाऊ निवासी इन्द्रपुर थाना घोसी जनपद मऊ 0उम्र करीब वर्ष 29

बरामदगी–

1. एक अदद लोहे की राडजिस पर खून लगा हुआ (आला कत्ल)।

पंजीकृत अभियोग

1. मु/129 0सं0अ026 धारा 103(1) बी.एस.एन. थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।

2. उ मदन गुप्ता 0नि0
3. हेविमलेश सिंह 0का0
4. का 0अनिल कुमार
5. का विराट पटेल 0
6. का मुकेश कुमार 0

ग्राम काझाखुर्द मे निर्माणकार्य के विवाद को लेकर हई मारपीट की घटना, जिसमे गम्भीर रुप से घायल 01 व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना

घटना मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिस राजपूत के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री संजय सिंह के नेतृत्व में दिनांक 03.04.2026 को मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि ग्राम काझा खुर्द मे दिनांक 26.03.2026 को निर्माण कार्य के विवाद को लेकर लाठी डण्डा आदि से लैश होकर गम्भीर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके क्रम मे दिनांक 26.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2),131 बीएनएस व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट बनाम मनई आदि 14 नफर पंजीकृत किया गया। अस्पताल मे इलाज के दौरान मारपीट से गम्भीर रूप से घायल भरत पुत्र राजेन्द्र निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की दिनांक 01.04.2026 को मृत्यु हो गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अग्रिम विवेचना मु0अ0सं0 110/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 103(1) बीएनएस बनाम आदि 13 नफर के विरूद्ध सम्पादित की गयी। वाछिंत अभियुक्तो की तलाश व गिरफ्तारी हेतु थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम मे प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह के द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त पन्नालाल पुत्र कन्हई निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को ग्राम बड़ागाव तिराहे के पास से समय करीब 11.40 बजे दिनांक 03.04.2026 को अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/351(2)/103(1) बीएनएस मे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. पन्नालाल पुत्र कन्हई निवासी काझाखुर्द थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरी0 संजय सिंह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. हे0का0 अकमल खॉ
3. का0 विशाल वर्मा

07 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2026 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कुल 07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त अफरोज अहमद पुत्र फैयाज अहमद निवासी पहाडपुरा, पवन राय पुत्र कृपाशंकर राय निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त कमरुज्जम पुत्र वसीकुर्रहमान निवासी शिवपुर गाढा थाना कोपागंज, भगवत पुत्र रघुवीर निवासी पुरानी कोपा थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त नौशाद अहमद पुत्र अली अख्तर निवासी रोपनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी लोहवा समसुद्दीनपुर उर्फ जिता पुत्र फुलचन्द निवासी घुटमा रानीपुर व थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त रविप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र नाथ सिंह निवासी बढुआगोदाम जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम कसारी से मु0अ0सं0 34/26 धारा 3(5), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)(घ) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त अंकित राय पुत्र अरूण राय, आनन्द राय पुत्र राजेन्द्र राय निवासीगण कसारी थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आत्महत्या के दुष्प्रेरण मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बनियापार बांध तिराहा के पास से मु0अ0सं0 83/26 धारा 108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अमरजीत पुत्र रामभवन निवासी कमधेनवा थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000 अर्थदंड से हए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 03-04-2026 को मु0अ0सं0 427/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र जगन्नाथ सोनकर निवासी हालिमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा व ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।